

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

1012] No. 1012]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2004/अग्रहायण 4, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2004/AGRAHAYANA 4, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2004

का.आ. 1302(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (5) और (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के आदेश सं. का.आ. 517(अ) तारीख 29 जून, 1999 को, जिसके द्वारा ''प्याज'' का एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था को, उन वातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व कि,या गया था या करने का लोप किया गया था, विखण्डित

> [फा. सं. 15/6/2004-ई सी आर एण्ड ई] सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2004

S.O. 1302(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-clauses (v) and (xi) of clause (a) of Section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Consumer Affairs (Department of Consumer Affairs) number S.O. 517(E) dated the 29th June, 1999 whereby, "Onion" was declared as an essential commodity, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

> [F. No. 15/6/2004-ECR&E] SATWANT REDDY, Addl. Secv.

3520 GI/2004